न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 11/2012

1 कुशलाराम पुत्र स्व. श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 रतीराम पुत्र स्व. श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
3 सरदाराराम पुत्र स्व. श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
4 शीशराम पुत्र स्व. श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
5 प्यारेलाल पुत्र स्व. श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
6 श्रीमती गुमानी देवी पत्नी स्व. श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 फूलाराम पुत्र धानाराम जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 ज्ञानाराम पुत्र धानाराम जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
3 रामदेव पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। दौराने अपील मृतक
3/1 रणजीत पुत्र स्व. रामदेवाराम जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

3/2 अर्जुनलाल पुत्र स्व. रामदेवाराम जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
3/3 रामकुमार पुत्र स्व. रामदेवाराम जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
3/4 मोहन पुत्र स्व. रामदेवाराम जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
3/5 छोटू पुत्र स्व. रामदेवाराम जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
4 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार कम उप पंजीयक नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्त.अधि. 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2011
अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ दावा उनवानी
फूलाराम बनाम ज्ञानाराम वगै. मुकदमा नम्बर 62/2007

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेदराज, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24.10.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ द्वारा मुकदमा नम्बर 62/2007 में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन खसरा नम्बर 139 रकबा 1.11 हैक्टेयर सरहद मौजा चारण की ढाणी के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपीलान्टस व अन्य रेस्पोडेन्टस के विरूद्व विचारण न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 के उक्त दावा को विचारण न्यायालय ने बहक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 निर्णित कर डिक्री किया और जमीन खसरा नम्बर 139 रकबा 1.11 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट 1 व 2 को घोषित किये। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की प्लींडिग के मुताबिक तनकियात कायम नहीं की है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने यह जवाब देही विचारण न्यायालय के समक्ष की है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का विवादित जमीन पर कब्जा नहीं है और यह कथन भी किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का दावा अन्दर मियाद नहीं है विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि कब्जे के अभाव में खातेदारी हकूको की धोषणा नहीं की जा सकती और यह भी व्यवस्था है कि 12 साल के दौरान यदि कोई व्यक्ति खातेदारी हकूक क्लेम नहीं करता है तो उसके हक खत्म हो जाते है उक्त दोनों ही बिन्दुओं पर विचारण न्यायालय को तनकीयात कायम करनी चाहिए थी। वाद विषय वस्तु के निर्धारण के लिए उचित विवाद बिन्दु कायम करना विचारण न्यायालय का दायित्व होता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने प्लींडिग के मुताबिक तनकी कायम नहीं कर तथ्य व विधि की भूल की है। अपीलान्टस के हक में राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की सहमति व जानकारी में बना है उक्त तथ्य की ताईद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा की गई जवाब देही व प्रदर्श डी–1 खसरा

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

परीसोधन में अंकित प्रविष्टियो से होती है। अपीलान्टस ने अपने हक में बने राजस्व रिकार्ड के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की तरफ से की गई स्वीकृति को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित किय है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी स्वीकृति से हटकर प्लींडिग की है। पत्रावली पर विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित जमीन अपीलान्टस के कब्जे काश्त व खातेदारी की होने के बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से की गई स्वीकृति के बाबत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद रही है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को नजर अंदाज कर विबन्ध के सिद्धान्त पर बिना कोई व्याख्या किये निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित किया है जा गलत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विबन्ध के सिद्धान्त के बाधित रहा है उक्त उजर अपीलान्टस ने विचारण न्यायालय के समक्ष उठाया था। उक्त बिन्दू पर भी विचारण न्यायालय को विवाद बिन्दू कायम करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में करने में कानूनी गलती की है। विवादित जमीन के गत खसरा नम्बर 2383 सरहद मौजा परसरामपुरा रहे। बाद में नये नम्बर 3155 तादादी 6 बीघा बने उसके बाद नये नंबर विवादित जमीन ग्राम चारण की ढाणी की सरहद में आ जाने से खसरा नम्बर 139 रकबा 1.11 हैक्टेयर बने। खसरा गिरदावरीयो से इस बात ताईद होती है कि विवादित आराजी पर पहले भगवानाराम काबिज काश्त रहा। खसरा गिरदावरी कानून से रिकार्ड आप राईट होती है। विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड को बिना समझे निर्णय व डिक्री जेर बहस पारित किया है। प्रदर्श डी–1 से इस बात की ताईद होती है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम विवादित जमीन का राजस्व रिकार्ड गलत बना हुआ है। विवादित जमीन अपीलान्टस व पहले भगवानाराम के कब्जे काश्त व खातेदारी की रही उक्त तथ्य की ताईद खसरा गिरदावरियों, राजस्व रिकार्ड व मौखिक साक्ष्य से होती है। तनकी संख्या 1 को निर्णित करने के जो आधार दर्ज किये है वे गलत है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय को पारित करने का केवल मात्र यह आधार दर्ज किया है कि सेटलमेंट विभाग को खातेदारी अधिकारी

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

परिवर्तित करने का हक नहीं है। विचारण न्यायालय का उक्त आधार विधि अनुकूल नहीं है क्योंकि भू–प्रबन्ध विभाग ने किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी को रिकार्डेड खातेदार को सुने बिना खत्म नहीं किया है बल्कि दर्ज खातेदार को सुनकर उसकी सहमति से रिकार्ड में केवल मात्र दुरूस्ती की है। उक्त तथ्य की ताईद पक्षकारान की मौखिक साक्ष्य से भी होती है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के तनकी संख्या 1 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में गलत रूप से निर्णित किया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की प्लींडिग की ताईद उसके सगे भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने नहीं की है इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय गलत किया गया है। तनकी नम्बर 2 का निर्णय विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में गलत किया है। विवादित जमीन पर सन 1980 से अपीलान्टस का कब्जा है जिसकी ताईद प्रदर्श डी–1 से होती है। विवादित जमीन पर भगवानाराम का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पहले से रहा इस बात की ताईद खसरा गिरदावरियों से होती है। कानून से कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस प्रकार तनकी संख्या 2 को विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के निर्णित किया है। तनकी संख्या 3 व 4 को अपीलान्टस के विरूद्ध तय करने में कानूनी गलती की है। उक्त तनकीयात को विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य को नजर अंदाज कर निर्णित कया है। अपीलान्टस ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से विवादित जमीन अपनी खातेदारी की होना साबित किया है। ऐसी स्थिति विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2006(1) राज. पेज 52–54, एआईआर 2016 राज पेज 89–95, आरबीजे 1998 पेज 615–616 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड संवत 2036 तक वादी तथा प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम वादग्रस्त भूमि का

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रिकार्ड रहा है परन्तु सेटलमेंट ऑपरेशन के दौरान उक्त भूमि का रिकार्ड प्रतिवादीगण नम्बर 3 लगायत 8 के नाम दर्ज किया जाना साबित है। भूप्रबंध विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तथा की गई कार्यवाही नियम विपरित है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 139 रकबा 1.11 हैक्टेयर की खातेदारी सेटलमेन्ट के दौरान वादी तथा प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज शुदा खातेदारी को हटाया जाकर प्रतिवादीगण नम्बर 3 लगायत 8 के नाम खातेदारी दर्ज की गई है जो नियम विपरीत कार्यवाही है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 द्वारा अपने जवाबदावे के समर्थन में खसरा परिशोधन पत्र नम्बर 69 की छाया प्रति प्रस्तुत डी 1 पेश किया जिसके आधार पर प्रतिवादीगण ने नियमानुसार भूमि दर्ज की जाने का कथन किया गया है। खसरा परिशोधन पत्र का अवलोकन किया गया। खसरा परिशोधन पत्र डी 1 सक्षम न्यायालय की डिक्री नहीं है तथा न ही प्रतिवादीगण नम्बर 3 लगायत 8 द्वारा विवादित भूमि का किसी सक्षम न्यायालय से घोषणा ही करवाई गई है। सेटलमेन्ट विभाग को बिना सक्षम न्यायालय आदेश के किसी प्रकार का खातेदारी में परिर्वतन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2010(2) आरजे पेज 757 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्टस के हक में राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की सहमति व जानकारी में बना है उक्त तथ्य की ताईद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा की गई जवाब देही व प्रदर्श डी–1 खसरा परिशोधन में अंकित प्रविष्टियो से होती है। अपीलान्टस ने अपने हक में बने राजस्व रिकार्ड के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की तरफ से की गई स्वीकृति को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। पत्रावली पर

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि

विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित जमीन अपीलान्टस के कब्जे काश्त व खातेदारी की होने के बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से की गई स्वीकृति के बाबत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद रहे है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को नजर अंदाज कर विबन्ध के सिद्धान्त पर बिना कोई व्याख्या किये, इस संदर्भ में विवाद बिन्दु कायम किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने विबन्ध के सिद्धान्त का विवेचन किए बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि जवाब दावें के अनुसार विवाद बिन्दु कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर